# वागड़ संदेश

जन मन की आवाज

www.wagadsandesh.com

Tital Code RAJHIN27802

सम्पर्क

ई-पेपर मे खबरे व विज्ञापन के लिये सम्पर्क करें

ई-मेल editorwagadsandesh@gmail.com

8890633631
9309255545
6351581818

वर्ष-1 | अंक-284 | सागवाड़ा, बुधवार, 6 जुलाई, 2022 | अवधि: हिन्दी ई-पेपर | पृष्ठ-1, मूल्य-10 रु. (वार्षिक)


# कन्हैयालाल के पुत्रों को मिलेगी सरकारी नौकरी

**जयपुर।** उदयपुर में तालिबानी हत्याकांड के शिकार हुए कन्हैयालाल तेली के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कन्हैयालाल के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कन्हैयालाल के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने के एजेंडे को प्रमुख तौर पर रखा गया। कन्हैयालाल के बेटे यश तेली और तरूण कुमार तेली को सरकारी नौकरी देने के लिए नियम बदले जा रहे हैं। दोनों को क्लर्क पद पर नौकरी दिया जाना तय है। कन्हैयालाल के बेटों को क्लर्क की नौकरी देने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन और एज लिमिट में छूट दी जाएगी।

इसके लिए राजस्थान क्लेरिकल एंड सबऑर्डिनेट सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2008,2009 के नियम 6 जी में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मौजूदा नियमों के हिसाब से 1992 के बाद आंतकी घटनाओं, दंगों, प्रदर्शनों-रैलियों में किसी की मौत होने पर उसके एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान था। मौजूदा नियमों के हिसाब से कन्हैयालाल के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी इसलिए नियमों में बदलाव का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 जून को उदयपुर में कन्हैयालाल तेली के घर जाकर परिजनों को सांत्वना दी थी। उसी दिन सीएस ने 50 लाख की सहायता का चेक देने के साथ दोनों बेटों को नौकरी देने का आश्वासन दिया था। कैबिनेट ने नई डिजिटल पौलिसी को मंजूरी दे दी है। नई पॉलिसी के तहत अब वेबसाइट्स को भी सरकारी विज्ञापन मिलेंगे। सरकार से विज्ञापन के लिए वेबसाइट्स को डीएवीपी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है, वेबसाइट का 50 फीसदी न्यूज कंटेंट होना अनिवार्य होगा और उसमें से 25 फीसदी न्यूज कंटेंट राजस्थान से होना जरूरी होगा। कैबिनेट ने नए सरकारी कॉलेजों को चलाने के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी (Raj-CES) के गठन को मंजूरी दी है। आगे खुलने वाले सरकारी कॉलेज भी इसी सोसाइटी के अधीन आएंगे। इससे पहले नए मेडिकल कॉलेजों को भी सोसाइटी के अधीन लिया गया था।

## राजस्थान हाईकोर्ट ने आबकारी आयुक्त के आदेश को किया स्टे

**जयपुर।** राजस्थान हाईकोर्ट से शराब कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आबकारी आयुक्त के उस आदेश को स्टे कर दिया है, जिसमें एनुअल गारंटी अमाउंट की राशि आनुपातिक आधार पर तय नहीं की गई थी। ऐसे में आयुक्त के आदेश के बाद अनुज्ञाधारियों को विभाग ने डिमांड नोटिस भी जारी कर दिया। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आबकारी आयुक्त के आदेश को स्टे करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ऐसी स्थिति में विभाग जारी किए गए डिमांड नोटिस की राशि नहीं ले सकेगा। हाईकोर्ट ने यह आदेश रविंद्र सिंह की याचिका पर दिया है। एडवोकेट आरबी माथुर एवं धीरज पालियां ने बताया कि जब शराब दुकान की बोलियां लगती है तो उस समय जितनी राशि में दुकान छूटती है, उतने ही रूपए की शराब मासिक रूप से खरीदनी होती है। ऐसे में यदि अनुज्ञाधारी उतने रूपए की शराब नहीं खरीदता है तो ऐसी स्थिति में तिमाही के आधार पर आबकारी विभाग उन्हें नोटिस जारी करता है और अंतर की राशि की शराब खरीदनी होती है या रूपए विभाग में जमा कराने होते हैं। यदि किसी अनुज्ञाधारी की दुकान लाइसेंस मिलने के बाद महीने के बीच में शुरू होती है, तो वह आनुपातिक रूप से उतने ही रूपयों की शराब खरीदता था।

# आईएएस डॉ. इन्द्रजीत यादव ने संभाला डूंगरपुर कलेक्टर का पदभार

### कहा-चिकित्सा एवं ग्रामीण विकास पर रहेगा प्रमुख फोकस

**डूंगरपुर।** जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त पद से तबादला होकर आये वर्ष 2015 आईएएस बेच के अधिकारी डॉ इन्द्रजीत यादव ने आज डूंगरपुर जिले के 64 वे कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है । इधर पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर यादव मीडिया से रूबरू हुए जिसमे उन्होंने अपनी प्राथमिकताओ को गिनाया । साथ ही जिले में चिकित्सा के क्षेत्र व ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रमुख फोकस करने की बात कही । वर्ष 2015 आईएएस बेच के अधिकारी डॉ इन्द्रजीत यादव जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त पद से तबादला होकर डूंगरपुर पहुंचे । डूंगरपुर पहुंचने पर एडीएम हेमेन्द्र नगर, जिला परिषद सीईओ दीपेन्द्र सिंह सहित कलेक्ट्रेट के कार्मिको ने आईएएस डॉ इन्द्रजीत यादव का स्वागत किया । वही इसके बाद आईएएस डॉ इन्द्रजीत यादव ने कलेक्टर चैम्बर में डूंगरपुर जिले के 64वें कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके बाद कलेक्टर डॉ इन्द्रजीत यादव ने एडीएम व जिला परिषद सीईओ ने डूंगरपुर जिले व सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जानकारी ।

वही कलेक्टर का पदभार ग्रहण करने के बाद डॉ. इन्द्रजीत यादव मीडिया से भी रूबरू हुए अपनी प्राथमिकताए बताई। कलेक्टर डॉ. इन्द्रजीत ने कहा कि राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओ को धरातल पर लागु करते हुए पात्र लोगो को लाभ पहुचाने के लिए कार्य किये जाएँगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओ के माध्यम से गरीबो को काफी फायदा पहुचाया जा सकता है ऐसे में इस विभाग पर भी उनकी खास नजर रहेगी। डॉ. इन्द्रजीत ने बताया कि वे आईएएस अधिकारी होने के साथ एमबीबीएस भी है ऐसे में आदिवासी क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओ को मजबूत करना तथा इसमें सुधार लाते हुए गरीबो को बेहतर चिकित्सा सुविधाए उपलब्ध कराना भी उनकी प्राथमिकताओ में रहेगा।.

## एक्टर सलमान खान के वकील को जान से मारने की धमकी

**जोधपुर।** बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जिस अंदाज में जान से मारने की धमकी मिली थी, उसी तरह का मामला राजस्थान में भी सामने आया है। जोधपुर में सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत को धमकी मिली है। खास बात यह है कि जिस तरह का लेटर सलमान खान के पिता सलीम खान को दिया गया था, उसी तरह का लेटर एडवोकेट सारस्वत को भी मिला है। लिखा है- दुश्मन का दोस्त दुश्मन। मूसेवाला जैसा हाल करने की धमकी दी गई है। सलमान के लेटर पर धमकी देने वाले ने 'LB-GB' लिखा था। एडवोकेट को भेजे गए लेटर पर भी 'LB-GB लिखा गया है। इसलिए दोनों मामलों को (लॉरेंस विश्नोई और गोल्डी बराड़) जोड़कर देखा जा रहा है। एडवोकेट हस्तीमल सारस्वत ने मंगलवार को जोधपुर के महामंदिर थाने में शिकायत दी है। उन्होंने बताया- मैं सवा महीने से अमेरिका में था।

30 जून की शाम जोधपुर पहुंचा हूं। 3 जुलाई की रात करीब 11 बजे मेरे जूनियर एडवोकेट जितेंद्र प्रसाद बिश्नोई मेरे घर आए थे। जितेंद्र ने मुझे बताया- 1 जुलाई सुबह 10:30 बजे ओल्ड हाईकोर्ट स्थित जुबली चेंबर के 8 नंबर रूम की कुंडी में एक लेटर अटका मिला।

# एनएच-48 पर लहणा घाटी में अमोनिया गैस से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलटा

### हादसे में टैंकर चालक हुआ घायल, कुछ देर तक यातायात हुआ बाधित

**डूंगरपुर।** जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एनएच-48 पर लहणा घाटी के पास अमोनिया गैस से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में टैंकर चालक घायल हो गया। वही टैंकर के पलट जाने से टेंकर से गैस का रिसाव शुरू हो गया । जिसके चलते कुछ देर तक नेशनल हाइवे पर यातायात बाधित रहा। डूंगरपुर जिले के बिछीवाडा थानान्तर्गत रतनपुर पुलिस चौकी के कांस्टेबल वसीम खान ने बताया कि अमोनिया गैस से भरा एक टैंकर कोटा से चलकर गुजरात के बड़ौदा की ओर जा रहा था। इस दौरान बिछीवाडा थाना क्षेत्र में एनएच 48 पर लहणा घाटी के पास बारिश की फिसलन की वजह से टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निवासी टैंकर चालक जगदारी को मामूली चोटें आई है । इधर टेंकर पलटने से टैंकर में लीकेज हो गया और लीकेज होने से अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया । गैस का रिसाव होने के चलते हाईवे पर एक तरफ का यातायात बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक दूसरी ओर डायवर्ट कर दिया गया है। इधर अमोनिया गैस के रिसाव से वातावरण प्रदूषित हो गया और आसपास के निवासियों तथा हाइवे से गुजरने वाले लोगो को सांस लेने में मामूली तकलीफ और आंखों में जलन जैसी शिकायतें भी आई है। इधर टैंकर से अमोनिया गैस का रिसाव बंद होने पर पुलिस ने टेंकर को क्रेन की मदद से खड़ा किया और उसे थाने पहुँचाया । इधर टेंकर को हटाने के बाद पुलिस ने यातायात को बहाल करवाया ।

## झालावाड़ में राजस्व भू-अभिलेख महिला निरीक्षक ट्रैप

**जयपुर।** ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये संगीता कुमारी, हाल भू-अभिलेख निरीक्षक (रिजर्व) तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया है। इभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि हमारी जमीन से अवैध कब्जे को हटवाने तथा जमीन की पेमाईश कराने की एवज में संगीता कुमारी भू-अभिलेख निरीक्षकतहसील पिड़ावा जिला झालावाड द्वारा 15 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी की झालावाड़ इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानीशंकर मीणा के नेतत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर मय टीम के तह कार्यालय पिड़ावा में ट्रेप कार्यवाही करते हुये संगीता कुमारी हाल भू-अभिलेख निरीक्षक तहसील पिड़ावा जिला झालावाड को परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपिया द्वारा परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि पूर्व में ही भूमि की पेमाईश के दिन प्राप्त कर ली गई थी।

# पति ने पत्नी के सिर पर मारा पत्थर, घायल पत्नी की 7वे दिन मौत

### चढ़ोतरे के लिए हथियारों के साथ गाड़ियों में भरकर पहुंचे पीहर पक्ष के लोग, पुलिस ने रोका

**डूंगरपुर।** कहासुनी के बाद पति ने पत्नी के सिर पर पत्थर मार दिया। गंभीर घायल पत्नी की उदयपुर अस्पताल में 7वे दिन मौत हो गई। मौत के बाद हंगामा शुरू हो गया। पीहर पक्ष के सैकड़ों लोग हथियारों के साथ गाड़ियों में भरकर चढ़ोतरे के लिए आ गए। भनक लगते ही पुलिस ने आकर रोका, लेकिन हंगामे से माहौल खराब हो गया।

बिछीवाड़ा थाना एएसआई प्रभुलाल ने बताया की घटना शिशोद गांव की है। 2। जून को मुन्ना बाई डामोर काम से कही गई थी। देर शाम को वापस घर लौटी तो पति दीपक डामोर ने बिना बताए चले जाने को लेकर डांटा। इसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई। आवेश में आकर पति दीपक डामोर ने उसके साथ मारपीट की ओर सिर पर पत्थर मार दिया। इससे मुन्ना बाई गंभीर रूप से घायल हो गई।

घटना के बाद घायल मुन्ना देवी को इलाज के लिए हिम्मतनगर हॉस्पिटल लेकर गए। जहा कुछ दिन इलाज के बाद परिजन उदयपुर लेकर आए। इलाज के दौरान मंगलवार रात को मुन्ना बाई की मौत हो गई। इसके बाद से पीहर पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए। उदयपुर जिले के सुवेरी गांव से बड़ी संख्या में लोग लट्ठ और हथियार लेकर गाड़ियों से शिशोद गांव पहुंच गए। पीहर पक्ष ने हंगामा कर दिया। चढ़ोतरे की सूचना मिलते ही बिछीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई। वही एएसपी अनिल मीणा के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया।

इससे घरों पर हमला करने के लिए आक्रोशित लोगों को रोक दिया। पुलिस ने हंगामे के बीच लोगो से समझाइश के प्रयास करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन परिजन आर्थिक सहयोग की मांग को लेकर बैठ गए और हंगामा करते रहे।

## एसपी राशि डोगरा ने साबला, आसपुर व निठाउवा थाना क्षेत्र का दौरा किया

**आसपुर।** डूंगरपुर एसपी राशि डोगरा ने पदस्थापन के बाद पहली बार गुरुवार को जिले के साबला, आसपुर व निठाउवा थाना क्षेत्र का दौरा किया। साथ ही एसपी ने त्रिवेणी जल संगम बेणेश्वर पहुच कर देव दर्शन किये। एसपी राशि डोगरा ने साबला, आसपुर व निठाउवा थाने का निरक्षण किया। वही एसएचओ से थाना सर्कल से जुड़ी विभिन्न जानकारी ली । एसपी ने आसपुर व निठाउवा थाना परिसर में पौधरोपण किया। वही एसपी ने त्रिवेणी जल संगम बेणेश्वर धाम पहुच कर राधाकृष्ण व शिवालय मंदिर में दर्शन किये। साथ ही बेणेश्वर धाम की महिमा से रूबरू होकर धाम की भौगोलिक स्थिति की जानकारी ली। इस दरम्यान डीवाईएसपी नोपाराम भाकर, एसएचओ सवाईसिंह सोढा आसपुर, रिजवान खान साबला , हेमंतसिंह निठाउवा सहित जवान मौजूद रहे। आसपुर थाना में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियो ने एसपी का पुष्प व शोल ओढ़ाकर स्वागत व अभिनंदन किया । वही एसपी ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्षेत्र में आमजन की सुरक्षा के साथ ही कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किये जाने की बात कही।

## जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती मनाई

**सागवाड़ा।** भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल सागवाड़ा द्वारा जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती मनाई गई।

इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण सोनी, पूर्व पालिका अध्यक्ष बदामीलाल मेहता, नेता प्रतिपक्ष हरीश सोमपुरा, नगर अध्यक्ष श्याम भट्ट, नानालाल दर्जी, नगर महामंत्री नीरज पंचाल, युवा नेता नयन कटारा, महामंत्री मांगीलाल डामोर, नरेंद्र गोवाड़िया, नगर उपाध्यक्ष किशोर सेवक, यशवंत गवारिया, लक्ष्यराज शर्मा, विजय पंचाल, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष प्रियंक भासरिया, जगदीश मोची, वासुदेव अहारी सहित भाजपा के कई पदाधिकारियो एवं कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके संघर्ष को याद किया और कहा कि उन्होंने कश्मीर को लेकर धारा 3।0 और 35 क के संदर्भ में कही बातों को जिसमे प्रमुख रूप से एक देश मे दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नही चलेंगे का नारा दिया था और मुखरता से विरोध करते हुए इसी आंदोलन के कारण रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हुई है ।

### बच्चा जब गलती करता है तो नाकारा-निकम्मा कहकर डांटते हैं

## प्रेम से भी कहूं तो लोग बुरा मानते हैं, क्या करूं?: गहलोत

**जयपुर।** राजस्थान की सियासत में इन दिनों नाकारा-निकम्मा शब्द काफी सुर्खियां बटोर रहा है। बुधवार को ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के मुद्दे पर 13 जिलों के विधायकों और कांग्रेस नेताओं के सम्मेलन में एक बार फिर इसकी गूंज रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाकारा-निकम्मा शब्द की परिभाषा बताते हुए केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह को निशाने पर लिया। गहलोत ने इशारों में सचिन पायलट पर भी तंज कसा। गहलोत ने कहा- निकम्मा का मतलब क्या होता है? पड़ोस में बच्चे कोई झगड़ा करते हैं। बच्चे आपस में झगड़ते हैं तो एक पड़ोसी दूसरे के घर जाता है। बच्चे की शिकायत करता है। तब उस बच्चे के पिता उसे कहते हैं कि अभी बुलाकर डांटता हूं। वह नाकारा-निकम्मा है। यही तो कहते हैं, ये तो कहावतें होती हैं। वह अपने बच्चे के लिए कहता है। गहलोत ने कहा- यही बात मैं कहता हूं कि निकम्मा-नाकारा है। इसका मतलब यही होता है कि यह बच्चा है। इसने गलती कर दी होगी। मैं इसे डांटता हूं। कई बार प्रेम से भी कहा जाता है। अब मैं प्रेम से भी कहूं तो कई लोग बुरा मान जाते हैं। उसका मैं क्या करूं? गौरतलब है कि सचिन पायलट ने पिछले दिनों कहा था कि गहलोत मेरे पिता तुल्य हैं, वे मुझे कई बार नाकारा-निकम्मा कह चुके हैं, मैं इस बात को अन्यथा नहीं लेता। गहलोत ने कहा- जयपुर में 7 जुलाई 2018 को मीटिंग हुई थी, उस वक्त वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थीं।

# नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

### 50 हजार रुपए का लगाया आर्थिक दंड, डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

**डूंगरपुर।** जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । वही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है । पीडिता ने 22 दिसम्बर 2020 को कुआ थाने में सेंडोला निवासी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की कुआ थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग ने 22 दिसम्बर 2020 को रिपोर्ट दी थी । रिपोर्ट में पीडिता ने बताया था की 14 नवम्बर 2020 को वह गाँव के पास एक मेले में गई थी । वही मेले में घुमने के बाद वह वापस अपने घर लौट रही थी । इस दौरान उसके मामा के गाँव सेंडोला निवासी 19 वर्षीय युवक नितेश पिता जीवा रास्ते में बाइक लेकर उसे मिला । वही नितेश ने उसे घर छोड़ने की बात कही जिस पर नाबालिग नितेश के साथ उसकी बाइक पर बैठ गई । इधर इसके बाद नितेश नाबालिग को लेकर अपने घर गया और घर पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और एक दिन तक घर पर रखा । वही अगले दिन नितेश नाबालिग को बैठकर अपनी मौसी के घर पर ले गया जहा पर उसे 21 दिसम्बर तक रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया । इसके बाद जैसे-तैसे नाबालिग वहा से मौका पाकर भाग निकली और अपने गाँव पहुंची ।

जहा पर पीडिता ने अपने परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया । इसके बाद परिजन पीडिता को लेकर कुआ थाने पहुंचे और नितेश के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया । पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी नितेश को गिरफ्तार किया । वही अनुसन्धान पूर्ण करने के बाद पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया । इसी मामले में पोक्सो कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी नितेश को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है ।

वही दोषी पर 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है । विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया मामले में पीडिता के पिता व माता पलट गए थे लेकिन कोर्ट ने वैज्ञानिक साक्ष्यो के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है । वही कोर्ट ने पीडिता के माता-पिता को रिपोर्ट से पलटने पर पक्षद्रोही करार दिया है ।